

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक प.1(1)चिस्वा/2/2019

जयपुर, दिनांक : 08.07.2019

०९

आदेश

प्रधान विशेषज्ञ एवं कार्यालयाध्यक्ष, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर के आदेश क्रमांक: संस्था/राज/2019/5518 दिनांक 27.05.2019 के द्वारा डा. दिलीप गुप्ता, चिकित्सा अधिकारी, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर का वेतन माह जून 2019 से डा. मनीष मित्तल, चिकित्सा अधिकारी के पीजी में चयन हुए रिक्त पद से आहरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। प्रधान विशेषज्ञ एवं कार्यालयाध्यक्ष, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर के उक्त आदेश को एतद द्वारा तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,



(संजय कुमार)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय
2. विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा राज्यमंत्री, महोदय
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
4. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि डा. दिलीप गुप्ता, चिकित्सा अधिकारी द्वारा मा. राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में दायर अपील संख्या 3161/2018 में पारित आदेश दिनांक 28.09.2018 की पालना में डा. गुप्ता ने बिना विभाग की सक्षम अनुमति प्राप्त किये सीधे ही सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में कार्यग्रहण किया है। उक्त कृत्य के लिए डा. गुप्ता के विरुद्ध सीसीए नियम-17 के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लाई जावे।
5. प्रधान विशेषज्ञ एवं कार्यालयाध्यक्ष, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर
6. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन जयपुर
7. संबंधित अधिकारी।
8. कम्प्यूटर सेल/ निजी /रक्षित पत्रावली।
9. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश आज ही विभाग की वैबसाईट पर अपलोड करावें।

07/07/2019

(नवल बिहारी ढलवाल)

शासन सहायक सचिव